

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठारीन अधिकारी-श्री समदरसिंह भाटी, आर.ए.एस
प्रशासन गांवों के संग अभियान-2023 कोर्ट केम्प विशाला आगौर

दिनांक - 25.07.2023

क्रमांक रीडर/2023/ 2163
प्रार्थी

बनाम

अप्रार्थीगण

1 चिमनाराम पुत्र मानाराम
जाति जाट निवासी विशाल
आगौर तहसील व जिला
बाड़मेर।


1 कानाराम 2 गोकलाराम 3 नगाराम 4 नवलाराम 5 पूराराम 6
रामाराम पिसरान रूपाराम 7 कुटलाराम 8 विशाराम पिसरान
हिमथाराम 9 चनणाराम 10 मालाराम पिसरान रेखाराम 11
नवली पत्नी रेखाराम 12 पोकलाराम 13 बगताराम 14 लुम्भाराम
15 सूराराम पिसरान हरचन्दराम 16 मांगीलाल पुत्र अणदाराम
17 रूपी पत्नी अणदाराम 18 दलवन्ती पत्नी चिमनाराम 19
गजाराम 20 वीरमाराम पिसरान दुर्गाराम 21 खंगाराराम पुत्र
उगाराराम 22 थानाराम पुत्र देदाराम 23 लाछोदेवी पत्नी देदाराम
जाति जाट निवासी विशाला आगौर तहसील व जिला बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत
राजस्व आवेदन संख्या :- 270/2022

दिनांक- 07.07.2023

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा विशाला आगौर पटवार क्षेत्र विशाला आगौर तहसील व जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 102 रकबा 2.4524 हैक्टेयर भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थी व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नहीं करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीशनर शुल्क रूपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।



(समदरसिंह भाटी)
उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर

क्रमांक :- रीडर/2023/ 2164-2167

दिनांक- 25.07.2023

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी विशाला आगौर तहसील बाड़मेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. चिमनाराम पुत्र मानाराम जाति जाट निवासी विशाल आगौर तहसील व जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थी कानाराम पुत्र रूपाराम वगैराह जाति जाट निवासी विशाल आगौर तहसील व जिला बाड़मेर।


उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर